राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या.....363/2015..... जिला .....जयपुर.....

उनवान : मैसर्स इण्डियन स्टील कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर

बनाम

(1) अपीलीय प्राधिकारी, प्रथम, वाणिज्यिक कर जयपुर (2) सहायक आयुक्त, वृत–जी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24/03/2015	**खण्डपीठ** **श्री मदन लाल, सदस्य** **श्री मनोहर पुरी, सदस्य** अपीलार्थी द्वारा यह अपील मय स्थगन प्रार्थना–पत्र अपीलीय प्राधिकारी–प्रथम, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या एस–240/AA-I/G/14-15 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 12.03.2015 के विरूद्ध वेट अधिनियम की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर वृत–जी, जयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) के द्वारा पारित किये गये आदेश दिनांक 04.02.2015 से सृजित कर, ब्याज व शास्ति सम्बन्धी मांग राशि रूपये 1,63,78,616/– में से वसूली योग्य मांग राशि रूपये 1,59,11,989/– की वसूली कार्यवाही को स्थगित किये जाने हेतु प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना–पत्र को अस्वीकार किया है। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील मय स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रकरण में कुल वसूली योग्य राशि **रूपये 1,59,11,989/–** की वसूली की कार्यवाही स्थगित किये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण दिनांक 12.6.2014 को किये जाने पर मौके पर पायी गयी अनियमितताओं के आधार पर कर निर्धारण आदेश दिनांक 04.02.2015 अन्तर्गत वेट अधिनियम की धारा 25, 55 व 61 पारित करते हुए कर रूपये 46,66,272/– ब्याज रूपये 23,79,799/– एवं धारा 61 के तहत शास्ति रूपये 93,32,545/– का आरोपण किया गया। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुए, प्रकरण में वसूली योग्य मांग राशि की वसूली कार्यवाही को स्थगित किये जाने हेतु धारा 38(4) के तहत प्रार्थना–पत्र भी प्रस्तुत किया गया। अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 12.03.2015 से स्थगन प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील मय स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत की गयी है। **लगातार.....2**	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या.....363/2015..... जिला .....जयपुर.....

उनवान : मैसर्स इण्डियन स्टील कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर

बनाम

(1) अपीलीय प्राधिकारी, प्रथम, वाणिज्यिक कर जयपुर (2) सहायक आयुक्त, वृत–जी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज –: 2 :–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24/3/2015	अपीलार्थी व्यवहारी के स्थगन प्रार्थना–पत्र पर अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री अलकेश शर्मा तथा राजस्व के विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक श्री एन. के. बैद की बहस सुनी गयी। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि वक्त सर्वेक्षण अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा समस्त लेखा–पुस्तकों व बहियात जांच अधिकारी के समक्ष उपलब्ध करवा दिये गये थे। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा समस्त रेकॉर्ड व क्रय/विक्रय का संधारण लेखा–पुस्तकों में किया जाता है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना, समस्त करारोपण अनुमानित आधार पर किया गया है। इसी प्रकार व्यवहारी द्वारा किये गये समस्त संव्यवहारों का इंद्राज लेखा–पुस्तकों में होने के बावजूद कर निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 61 की शास्ति का आरोपण अविधिक रूप से कर दिया गया। अग्रिम कथन किया कि व्यवहारी द्वारा समस्त कर का भुगतान नियमानुसार एवं निर्धारित अवधि में किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के विरूद्ध कर, ब्याज व शास्ति की भारी मांग सृजित की जाकर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध कुर्की की कार्यवाही की जा रही है। अतः गुणावगुण पर सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में बताते हुए, प्रकरण में वसूली योग्य मांग राशि की वसूली कार्यवाही को स्थगित किये जाने का निवेदन किया गया। प्रत्यर्थी के विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय आदेश का समर्थन करते हुए अपीलार्थी का स्थगन प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किये जाने पर बल दिया। उभयपक्ष की बहस सुनने, कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेश, अपील व स्थगन आधारों पर विचार किये जाने के उपरान्त प्रकरण में सुविधा संतुलन प्रथम दृष्टया अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः **प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना,** अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना–पत्र स्वीकार करते हुए प्रकरण में शेष वसूली योग्य मांग राशि **रूपये 1,59,11,989/–** की वसूली पर इस शर्त पर रोक स्वीकार की जाती है कि अपीलार्थी इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में कर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप, **लगातार.....3**	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या.....363/2015..... जिला .....जयपुर.....

उनवान : मैसर्स इण्डियन स्टील कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर

बनाम

(1) अपीलीय प्राधिकारी, प्रथम, वाणिज्यिक कर जयपुर (2) सहायक आयुक्त, वृत–जी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज –: 2 :–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24/3/2015	उनके समक्ष पर्याप्त जमानत (adequate security) प्रस्तुत करेंगे। साथ ही अपीलीय अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे उनके समक्ष लम्बित अपील का निस्तारण तीन माह की अवधि में करना सुनिश्चित करें। उपरोक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। 24.03.2015 सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर 24.3.2015 सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर	